

औद्योगिक विकास विभाग

अनुभाग-4

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2015 ई०

सं० 3338/77-4-15-02एल/13टी0सी0-उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1976) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में वर्णित क्षेत्र औद्योगिक विकास क्षेत्र होगा :

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के "औद्योगिक विकास क्षेत्र" की सूची

क्र०सं०	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	गांव का नाम	क्षेत्रफल	तहसील का नाम	जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	औद्योगिक विकास क्षेत्र, रमईपुर	कुरीना, बहादुर नगर	176.374	कानपुर सदर	कानपुर
2	औद्योगिक विकास क्षेत्र, रमईपुर	मगरासा	301.04	कानपुर सदर	कानपुर

आज्ञा से,
महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3338/77-4-15-02L/13TC, dated December 22, 2015 :

3338/77-4-15-02L/13TC

December 22, 2015

In exercise of the powers under clause (d) of section 2 of the Uttar Pradesh Industrial Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976), the Governor is pleased to declare that the area specified in Schedule below, shall be the Industrial Development Area :

SCHEDULE

Sl. no.	Name of Industrial Area	Name of Village	Area	Name of Tehsil	Name of District
1	2	3	4	5	6
			Hectares		
1	Industrial Development Area, Ramaipur	Kurauna, Bahadur Nagar	176.374	Kanpur Sadar	Kanpur
2	Industrial Development Area, Ramaipur	Magrasa	301.04	Kanpur Sadar	Kanpur

By order,
MAHESH KUMAR GUPTA,
Principal Secretary.

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश

नियुक्ति

08 नवम्बर, 2015 ई०

सं० 5011/लो०आ०-2015-192-9(11)/30-उत्तर प्रदेश शासन, जनकपुर अनुभाग-4 के कार्यालय द्वारा संख्या लो०आ०-296/39-4-15-15(83)/12, दिनांक 08 नवम्बर, 2015 के द्वारा नव नियुक्ति संयुक्त सचिव के अर्थात् श्री प्र. वेत्ता वैष्णव-4 (रु० 37,400-57,000 ग्रेड वेतन रु० 8,100) में श्री अश्विनी कुमार सिंघल, उम्र अधिक की कार्यक्षमता प्रभाव से प्रोत्साहित कर नियुक्ति किया जाता है।

श्री सिंघल अपने संयुक्त सचिव के पद के साथ-साथ सचिव, खण्ड सचिव और आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य भी अतिरिक्त अवधेयता तक करते रहेंगे।

आज्ञा से
आयुक्त, लोक सेवा
लोक आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।